
**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में "राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन"
विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया**

यह हर्ष का विषय है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान के कार्मिकों के लिए दिनांक 9 अगस्त, 2023 को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक ए-10 कंप्यूटर लैब (ग्राउंड फ्लोर) में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला राजभाषा अधिनियम और संबंधित नियमों के अनुपालन पर केंद्रित थी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के सम्मानित प्रभारी-कुलसचिव, प्रोफेसर सतिन्द्र कुमार शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। प्रभारी-कुलसचिव ने इस अवसर पर राजभाषा के महत्व पर बल दिया और संस्थान के कार्मिकों हिंदी में काम को प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिंदी में काम करना शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक कर्तव्य है जिसे हमें गर्व से अपनाना चाहिए।



कार्यशाला में कुशल प्रस्तुति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के हिंदी प्रकोष्ठ के कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा), श्री नितिन सिंह तोमर ने किया। उनकी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति ने राजभाषा अधिनियम और इसके कार्यान्वयन के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस आयोजन का उद्देश्य हमारे आधिकारिक प्रयासों में हिंदी की भूमिका की गहरी समझ को बढ़ावा देना और हमारी भाषाई जिम्मेदारियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। आइए हम सभी संवैधानिक आदेशों के अनुसार हिंदी के प्रचार और प्रभावी उपयोग की दिशा में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लें।



हिन्दी प्रकोष्ठ इस कार्यशाला को सफल बनाने में आप सभी की भागीदारी और उत्साह की सराहना करता है।



हमारी राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए आपके निरंतर समर्थन और समर्पण के लिए धन्यवाद।